प्रेस प्रकाशनी **PRESS RELEASE**

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

7 अगस्त 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को सर्वव्यापी बैंक में परिवर्तन हेतु 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी

रिज़र्व बैंक ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (एयूएसएफबी) को लघु वित्त बैंक (एसएफबी) से सर्वव्यापी बैंक में परिवर्तन हेतु 'सैद्धांतिक' मंजूरी देने का निर्णय लिया है।

पृष्ठभूमि

यह विदित है कि दिनांक 27 नवंबर 2014 को जारी निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशानिर्देश में लघु वित्त बैंकों को सर्वव्यापी बैंकों में परिवर्तित करने के लिए एक संक्रमण पथ प्रदान किया गया था, जो कि लघु वित्त बैंकों द्वारा सर्वव्यापी बैंकों पर लागू न्यूनतम चुकता पूंजी/निवल मालियत की आवश्यकता को पूरा करने, न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि के लिए लघु वित्त बैंकों के रूप में उसके कार्यनिष्पादन के संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड और भारतीय रिज़र्व बैंक की समुचित जांच के अधीन था। इसके अलावा, बेहतर स्पष्टता लाने के उद्देश्य से, लघु वित्त बैंकों को सर्वव्यापी बैंक में परिवर्तन के पात्रता मानदंड को 26 अप्रैल 2024 को जारी "लघु वित्त बैंकों का सार्वभौमिक बैंकों में स्वैच्छिक परिवर्तन" संबंधी परिपत्र में विस्तृत रूप से बताया गया था।

(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/861